न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–85/2021 (जीसीएमएस नम्बर 2021/165)

1. ज्ञानचन्द पुत्र नानगा,
2. रामजीलाल पुत्र नानगा,
3. हरलाल पुत्र नानगा,
4. हरसहाय पुत्र नानगा,
5. धापादेवी पत्नि नानगा, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम कोल्यावास, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. जीताराम पुत्र ग्यारसा,
2. नारायण पुत्र सांवल्या,
3. प्रेम पत्नी सांवल्या,
4. रामअवतार पुत्र सांवल्या,
5. रामप्रताप पुत्र सांवल्या,
6. रामसुखा पुत्र ग्यारसा,
7. श्रीराम पुत्र ग्यारसा,
8. लक्ष्मीनारायण पुत्र सांवल्या समस्त जाति मीना निवासी ग्राम कोल्यावास, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री अशोक कुमार जोशी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री सतीश पारीक एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 व 8 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 16.01.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व यह तथ्य नही देखा गया कि किसी भी पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में मुख्य विवाद पड़ौसी खातेदारान से रहता है किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी भी पड़ौसी खातेदार को पक्षकार नही बनाकर केवल मात्र तहसीलदार को पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया उसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रक्रियाओं के विपरित होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जिन खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया था। उक्त खसरा नम्बरान पर अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है तथा मौके पर काबिज है। उक्त खसरा नम्बरान सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दिये थे जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अन्य वाद ज्ञानचन्द बनाम रामसुखा प्रकरण संख्या 42/2016 विचाराधीन है तथा न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला दावा रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु प्रतिबन्धित करने के आदेश दिनांक 11.06.2018 को जारी कर रखे है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन आदेश प्रभावी रहने के दौरान अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2021 पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह माना है कि पूर्व में कोई सीमाज्ञान हुआ था जिसमें प्रार्थीगण संन्तुष्ट नही थे जिससे स्पष्ट है कि सीमाज्ञान रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध थी फिर भी उक्त रिपोर्ट को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2021 पारित किया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि दिनांक 28.10.2021 को पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया था कि उक्त खसरा नम्बरों में से कुछ खसरा नम्बरों पर मकान बने हुऐ है तथा वर्तमान में जरीब चलाकर पत्थरगढ़ी किया जाना संभव नही है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.11.2021 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादित भूमि दौराने सेटलमेन्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 के नाम गलत तरीके से दर्ज हो गई जबकि पूर्व साबिक खसरा नम्बर 66, 67, 67/1 लगायत 67/8, 69, 70 व 70/1 श्योजी, ग्यारसा, पिसरान भौरया व नानगा पुत्र काना के नाम बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी किन्तु दौराने सैटलमेन्ट नवीन नम्बर कायम करते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 के नाम दर्ज कर दिये और अपीलान्ट का रकबा 25 ऐयर कम कर दिया गया जिस बाबत उद्‌घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है तथा मौके पर काबिज है एवं विवादित भूमि के पड़ौसी खातेदार भी है जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय से अपीलान्ट प्रभावित एवं पीडित पक्षकार है तथा अपीलान्ट पीड़ित एवं ग्रसित पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुत की इजाजत हेतु प्रार्थना धारा 96 सी.पी.सी. अलग से अपील के साथ पेश किया गया जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान द्वारा प्रकरण में संख्या 26/2021 उनवानी जीताराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.11.2021 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 व 8 ने कथन किया है कि ग्राम कोल्यावास जिला दौसा में कृषि भूमि का आराजी खसरा नम्बर 314 रकबा .0300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 325 रकबा 0.6400, खसरा नम्बर 330 रकबा 0.3900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 337 रकबा 0.6100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.0200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 349 रकबा 0.5700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.070 हैक्टयर, खसरा नम्बर 353 रकबा 0.2700 हैक्टयर, एवं खसरा नम्बर 364 रकबा 0.9000 हैक्टयर स्थित है जिसके रेस्पोडेन्ट्स एक मात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी है जिस पर वे प्राधिकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त कृषि भूमि से किसी दीगर व्यक्ति का कोई लेना–देना, वास्ता, सरोकार या किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट्स की उक्त आराजी पर काश्त की गई फसल को आवारा जानवर नष्ट कर देते है जिससे रेस्पोडेन्ट को भारी नुकसान होता है तथा रेस्पोडेन्ट अपनी उक्त भूमि के चारों और मिटटी की कच्ची डोली जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षार्थ जब भी लगाते है तो पड़ौसी खातेदारान उसको तोड़ देते है जिससे रेस्पोडेन्ट की भारी नुकसान होता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की उक्त खातेदारी भूमि पर वर्तमान में कब्जा काश्त रेस्पोडेन्ट का ही है और रेस्पोडेन्ट अपनी खातेदारी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त कर रहे परन्तु पडौसी खातेदारों द्वारा बिना वजह रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान किये जाने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाना आवश्यक हुआ है तथा रेस्पोडेन्ट की भूमि का दिनांक 22.06.2016 को सीमाज्ञान भी हो जाने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक गलती नही की गई है और निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिववक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है प्रत्येक खातेदार काश्तकार को अपनी आराजी की एवं फसल इत्यादि की सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने को कानूनी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू राजस्व अधिनियम में प्रदत्त किये हुऐ है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 314, 325, 330, 331, 337, 338, 349, 352, 353, एवं 364, वाके ग्राम कोल्यावास रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी रेस्पोडेन्ट्स की उक्त खसरा नम्बरान की आराजी का नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये। यदपि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान जिला दौसा में वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा विचाराधीन है

P.T.O.

तथा दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रभावशील होने के बावजूद अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2021 पारित किया गया है किन्तु अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है जिससे अपीलाधीन आदेश पारित करने के दौरान रेस्पोडेन्ट की उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने साबित होता हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2021 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2021 को यथावत रखा जाता है।

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।